प्रकाशन के लिए अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (दांडिक) क्रमांक 5022/2007</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : एस.एन. गाडिया

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री,

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा</u>

मैं सहमत हूँ

सही/-

राधे श्याम शर्मा

न्यायाधीश

27 जून, 2011को निर्णय उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री,

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (दांडिक) क्रमांक 5022/2007

याचिकाकर्ता : एस.एन. गाडिया

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

समक्ष: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री एवं

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

उपस्थित : श्री जे.के. शास्त्री, याचिकाकर्ता की के अधिवक्ता।

श्री सुमेश बजाज, शासकीय अधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1

एवं 5 से 7 की ओर से।

श्री डी.के. ग्वालरे, उत्तरवादी क्रमांक 3 एवं 4 की के अधिवक्ता।

(निर्णय दिनांक 27 जून, 2011 को उद्घोषित)

माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री, द्वारा

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' रिट जारी करने की मांग की है, जिसके द्वारा उत्तरवादीगण को निर्देशित किया जाए कि वे छत्तीसगढ़ राज्य के 75 मजदूरों को, जैसा कि पत्र में उल्लेखित है, उत्तरवादी क्रमांक 2 गुलाम हसन मीर, निवासी भट्टा बड़गांव, ईंट भट्ठा क्रमांक 71-डी, ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस बुगांव, तहसील चडोरा, जिला बड़गांव, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर द्वारा की गई अवैध निरुद्ध से मुक्त करें तथा उन्हें इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. विवाद के समुचित निपटारे हेतु याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यह हैं कि याचिकाकर्ता एक सामाजिक सेवी है तथा पिछले चार दशकों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप मे कार्य कर रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3922 वर्ष 1985 (पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य) में आयुक्त नियुक्त किया गया था, जो मध्य प्रदेश राज्य में बंधुआ मजदूरी से संबंधित जांच हेतु दायर अन्य संबद्ध रिट याचिकाओं से संबंधित था।

3. याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि एक राज दिवाकर ने (अनुलग्नक–पी/2) छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 2 के स्वामित्व वाले जम्मू एवं कश्मीर राज्य के ईंट-भट्टों में मजदूर के रूप में कार्य करते समय उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनका उल्लेख किया गया। जब छत्तीसगढ़ राज्य से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तो याचिकाकर्ता ने क्रमशः कोरबा, रायगढ़ तथा जांजगीर-चांपा के कलेक्टरों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए (अनुलग्नक– पी/3, पी/4 एवं पी/5)। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के सचिव के समक्ष भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया ताकि 75 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने हेतु आवश्यक कदम उठाए जा सकें, किंतु उससे कोई परिणाम नहीं निकला।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के अनुसार, बंधुआ मजदूर छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी हैं। उन्हें जम्मू एवं कश्मीर राज्य में उत्तरवादी क्रमांक 2 के हाथों अत्यधिक कठिनाइयों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। उक्त मजदूरों का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में थी। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई।

5. राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 5 से 7 की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री बजाज ने प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली से दिनांक 1-8-2007 का पत्र (अनुलग्नक–आर/1-2) प्राप्त होने के पश्चात, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव, रायपुर ने दिनांक 29-8-2007 का पत्र (अनुलग्नक– आर /1-3) जम्मू एवं कश्मीर शासन के

मुख्य सचिव को लिखा, जिसमें मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें तत्काल बचाव का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने भी दिनांक 13-8-2007 के पत्र (अनुलग्नक– आर/1-4) के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करें और मुक्त कराए गए मजदूरों को सुरक्षित रूप से घर वापस भेजने की अनुमति दें। इन तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य बंधुआ मजदूरों को बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

6. श्री बजाज ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि जम्मू एवं कश्मीर के श्रम आयुक्त ने अनुलग्नक–आर/1-1 के माध्यम से सूचित किया कि शिकायतकर्ता/मजदूर, जिन पर ईंट भट्ठा क्रमांक 71-डी (जो कि श्री गुलाम हसन मीर, बोगाम चाडोरा, जिला बडगाम का है) में बंधुआ मजदूर होने का आरोप था, वे संबंधित ईंट भट्ठे को पहले ही छोड़ चुके हैं। अतः ईंट भट्ठे के स्थल पर किसी भी प्रकार के बंधुआ या जबरन श्रम का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य के व्यक्तियों की अवैध निरुद्ध संबंधी इस याचिका में लगाए गए आरोप निराधार हैं और याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उत्तरवादी क्रमांक 3 एवं 4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री ग्वालरे ने निवेदन किया कि छत्तीसगढ़ राज्य से सूचना प्राप्त होने पर जम्मू-कश्मीर राज्य द्वारा जांच कराई गई। जांच में तहसीलदार, चडोरा, जिला बडगाम ने पाया कि छत्तीसगढ़ की 12 परिवार ईंट भट्ठा मालिक गुलाम हसन के यहां कार्यरत थे और वे अपनी इच्छा से कहीं भी आने-जाने के लिए स्वतंत्र थे। उन पर गांव लौटने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। जांच प्रतिवेदन अनुलग्नक –आर/3-1 है। यहाँ तक कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला बड़गाम ने भी थाना प्रभारी के माध्यम से एक जांच कराई, जिसमें आरोप झूठे पाए गए और यह पाया गया कि मजदूर स्वेच्छा से ईंट भट्ठे में कार्य कर रहे थे।

8. श्री ग्वालरे ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उन व्यक्तियों की सूची में से, जिनके बारे में कहा गया था कि उन्हें पंजाब एवं हरियाणा तथा जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्रों में ले

जाया गया है, राज्य की टीम द्वारा लगभग 90 व्यक्तियों के अभिकथन दर्ज किए गए हैं, जो टीम पंजाब एवं हरियाणा तथा जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्रों में गई थी। वहां उन्होंने कथन किया है कि वे किसी के अवैध निरुद्ध में नहीं हैं और और स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकते हैं।

9. प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री शास्त्री ने तर्क प्रस्तुत किया कि पीड़ित व्यक्तियों को उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा मुक्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना चाहिए और उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। । श्री शास्त्री ने *नीरज चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य*[1] में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिवचनों और उनके साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11-04-2008 के आदेश से स्पष्ट है कि श्री प्यारेलाल दिवाकर और याचिकाकर्ता अर्थात् श्री एस.एन. गड़िया उपस्थित थे और उनकी पहचान याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जे.के. शास्त्री द्वारा की गई थी। उक्त तिथि पर, श्री शास्त्री ने न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि "यह सच है कि आज मजदूर उत्तरवादी क्रमांक 2 अर्थात् गुलाम हसन के अवैध निरुद्ध में नहीं हैं" और अंतिम बहस के लिए समय मांगा।

12. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 10-01-2008 के शपथ पत्र के उत्तर में, राज्य/उत्तरवादी संख्या 1 और 5 से 7 ने प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है और कंडिका 6 में यह तर्क दिया है कि कुछ व्यक्तियों ने तो यहाँ तक कहा है कि वे प्यारेलाल दिवाकर के माध्यम से ईंट भट्ठों तक पहुँचे थे और उक्त दिवाकर ने अलग-अलग व्यक्तियों से अलग-अलग राशियाँ ली थीं और न तो राशियाँ वापस की हैं और न ही मजदूरों के साथ कोई संपर्क किया है। इन तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि मजदूरों और प्यारेलाल दिवाकर के बीच धन के लेन-देन के संबंध में कुछ विवाद है। मजदूरों के अभिकथनों की प्रतियां अनुलग्नक-आर/1-8 के रूप में प्रस्तुत की गई हैं।

[1] एआईआर 1984 एससी 1009

13. यहाँ तक कि दिनांक 13-08-2007 के पत्राचार (अनुलग्नक-आर/3-2) के माध्यम से, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला बड़गाम ने पुलिस अधीक्षक, कोरबा को सूचित किया कि थाना प्रभारी ने मजदूरों से मुलाकात की और शिकायत को पूर्णतः निराधार एवं सत्य से परे पाया। मजदूर सुरक्षित एवं स्वस्थ हैं और अपनी स्वेच्छा से ईंट भट्ठे में कार्य कर रहे हैं।

14. उत्तरवादी क्रमांक-2 का अभिकथन उर्दू भाषा में दर्ज किया गया था, जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। उक्त अभिकथन में उत्तरवादी क्रमांक-2 ने कहा कि केवल अग्रिम राशि हड़पने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध झूठी और मनगढ़ंत शिकायत दर्ज कराई गई है। वास्तव में, उसने मजदूरों के साथ कोई अत्याचार नहीं किया है।

15. बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (संक्षेप में "अधिनियम, 1976") को बंधुआ मजदूरी प्रणाली को समाप्त करने के उद्देश्य से विचरित किया गया था, ताकि समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के आर्थिक एवं शारीरिक शोषण को रोका जा सके तथा उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए प्रावधान किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अधिनियम, 1976 की धारा 2(घ) में 'बंधुआ ऋण' की परिभाषा इस प्रकार दी गई है —

> (घ) 'बंधुआ ऋण' से तात्पर्य उस अग्रिम राशि से है, जो किसी बंधुआ मजदूर द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त की गई हो, अथवा प्राप्त की गई मानी जाती हो।

17. अधिनियम, 1976 की धारा 2(च) में 'बंधुआ मजदूर' की परिभाषा इस प्रकार दी गई है—

(च) 'बंधुआ मजदूर' से तात्पर्य ऐसे मजदूर से है, जिस पर बंधुआ ऋण है, या जिसके बारे में यह माना जाता है कि उस पर बंधुआ ऋण है।

18. "बंधुआ श्रम प्रणाली" को बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 2(छ) में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:

(छ) "बंधुआ श्रम प्रणाली" से आशय ऐसी प्रणाली से है जिसमें किसी व्यक्ति से बलपूर्वक या आंशिक रूप से बलपूर्वक श्रम कराया जाता है, जिसके अंतर्गत कोई देनदार (ऋणी) लेनदार के साथ इस आशय का समझौता करता है, या किया हुआ माना जाता है कि—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) उसके द्वारा, या उसके किसी वंशज/पूर्वज द्वारा प्राप्त अग्रिम राशि के बदले (चाहे वह अग्रिम किसी दस्तावेज़ से सिद्ध हो या नहीं) तथा उस अग्रिम पर देय ब्याज (यदि कोई हो) के बदले; या

(ii) किसी प्रचलित रीति-रिवाज या सामाजिक दायित्व के पालन में; या

(iii) उत्तराधिकार के कारण उस पर आए किसी दायित्व के पालन में; या

(iv) उसके द्वारा या उसके किसी वंशज/पूर्वज द्वारा प्राप्त किसी आर्थिक लाभ के बदले; या

(v) किसी विशेष जाति या समुदाय में जन्म के कारण,

वह व्यक्ति—

(1) स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति के माध्यम से, लेनदार के लिए या उसके लाभ हेतु, निश्चित या अनिश्चित अवधि के लिए, बिना मजदूरी या नाममात्र की मजदूरी पर श्रम/सेवा प्रदान करे; या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) निश्चित या अनिश्चित अवधि के लिए रोजगार या आजीविका के अन्य साधनों की स्वतंत्रता त्याग दे; या

(3) भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने-जाने के अधिकार का परित्याग करे; या

(4) अपनी संपत्ति या अपने श्रम अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य या उस पर आश्रित व्यक्ति के श्रम से उत्पन्न उत्पाद को

बाज़ार मूल्य पर बेचने/उपयोग करने के अधिकार का त्याग करे।

इसके अंतर्गत वह प्रणाली भी सम्मिलित है जिसमें कोई जमानतदार देनदार के लिए यह समझौता करता है कि यदि देनदार ऋण चुकाने में असफल रहता है, तो वह उसके स्थान पर बंधुआ श्रम करेगा।

स्पष्टीकरण:-- शंकाओं के निवारण के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जबरन या आंशिक रूप से जबरन श्रम की कोई भी प्रणाली, जिसके तहत कोई भी कामगार जो 'ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970' की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में परिभाषित ठेका श्रमिक है, या 'अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979' की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में परिभाषित अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार है, उससे इस खंड के उप-खंड (1) में वर्णित प्रकृति की परिस्थितियों में श्रम या सेवा करने की अपेक्षा की जाती है या उसे उप-खंड (2) से (4) में संदर्भित सभी या किसी भी अक्षमता के अधीन रखा जाता है, तो वह इस खंड के अर्थ के भीतर "बंधुआ श्रम प्रणाली" है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अभिलेखों एवं शपथपत्रों तथा मजदूरों के अभिकथनों के अवलोकन से यह पाया गया कि कथित 75 मजदूरों को बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया गया; या; उन्हें बंधुआ ऋण चुकाए बिना मुक्त नहीं किया गया था।

20. यह किसी प्रचलित रीति-रिवाज या सामाजिक दायित्व का प्रकरण नहीं है, न ही उत्तराधिकार से उत्पन्न किसी दायित्व का, न ही उसके द्वारा या किसी वंशज द्वारा प्राप्त किसी

आर्थिक प्रतिफल का, और न ही किसी विशेष जाति या समुदाय में जन्म के कारण उत्पन्न होने वाले किसी दायित्व का।

21. वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि कथित 75 व्यक्ति एक दिवाकर के कहने पर ईंट भट्ठे में मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए स्वेच्छा से जम्मू और कश्मीर गए थे। जांच के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि न तो उन पर किसी प्रकार का कर्ज था और न ही नियोक्ता की ओर से कोई दबाव था, जो कि उनके बयानों (अनुलग्नक-आर/1-7 एवं आर/1-8) से स्पष्ट है। निर्विवाद रूप से, उन्हें बहुत पहले ही मुक्त कर दिया गया था और वे अपने-अपने गांवों में निवास कर रहे हैं।

22. जहां तक याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की दूसरी तर्क का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कथित 75 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया, इस संबंध में यह सिद्ध करने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि कथित बंधुआ मजदूर, बंधन के कारण पीड़ित थे या ईंट-भट्ठे में काम से मुक्त होने के बाद भी उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया गया। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आज उन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. सर्वोच्च न्यायालय ने नीरजा चौधरी (पूर्वोक्त) प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि—

"उचित और प्रभावी पुनर्वास के बिना बंधन से मुक्ति का कोई विशेष महत्व नहीं होगा और यदि ऐसे पुनर्वास की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है, तो अधिनियम का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा तथा बंधुआ मजदूरी प्रणाली की वह बुराई, जिसे विधायिका ने न केवल हमारे देश बल्कि सम्पूर्ण मानवता के व्यापक हित में समाप्त करना उचित समझा था, अपनी दुष्ट अस्तित्व *को बनाए रखेगी।"*

24. विधि के इस सिद्धांत तथा उसके क्रियान्वयन के संबंध में कोई विवाद नहीं है। तथापि, वर्तमान मामले में यह कुछ भी सिद्ध नहीं किया गया है कि वे बंधुआ मजदूर थे अथवा उनकी मुक्ति के बाद उनके पुनर्वास न होने से उन्हें कोई हानि या पूर्वाग्रह हुआ हो।

25. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका सारहीन है और तदनुसार खारिज की जाती है।

26. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

सही/-

राधे श्याम शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Amitesh Anand Rathore